न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट), गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-1002/2026

1. चन्द्रभान पुत्र रामकेवल, उम्र-47 वर्ष,

2. जितेन्द्र पुत्र स्व० रामभजन उम्र करीब 36 वर्ष,

3. अरुण सिंह पुत्र स्व० राधेश्याम उम्र करीब 37 वर्ष,

निवासीगण-ग्राम डुमरी खुर्द, टोला पिपरहियां, थाना-चौरीचौरा, जनपद-गोरखपुर।

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार **.....विपक्षी**

सत्रवाद सं०-219/2021
मु०अ०सं०-143/2017
धारा-138बी विद्युत अधिनियम, 2003
थाना-चौरीचौरा, जिला-गोरखपुर।

आवेदकगण/अभियुक्तगण चन्द्रभान, जितेन्द्र एवं अरुण सिंह द्वारा उपरोक्त प्रकरण मे प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

अभियोजन कथनाक के अनुसार दिनांक 17.03.2017 को वादी मुकदमा रवि प्रताप सिंह अवर अभियंता द्वारा टीम के साथ अभियुक्तगण के आवास/परिसर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अभियुक्तगण द्वारा बकाया विच्छेदन के बावजूद विद्युत बिल जमा किये अवैध रूप से कटिया लगाकर विद्युत चोरी करते पाया गया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में उल्लिखित तथ्यों के अनुरूप यह कथन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को रंजिशन फंसाया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण वैध कनेक्शनधारी हैं और उनके द्वारा विद्युत बिल जमा किया जा चुका है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा विद्युत चोरी नहीं किया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध किया गया।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण पर विद्युत चोरी का अभियोग लगाया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा बिजली का समस्त बिल जमा किया जा चुका है। आवेदकगण/अभियुक्तगण पर अधिरोपित अपराध 7 वर्ष से कम सजा से दण्डनीय है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण-दोष पर विचार व्यक्त किये बिना आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण चन्द्रभान, जितेन्द्र एवं अरुण सिंह द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1002/2026 प्रत्येक के द्वारा मु० 20,000/- रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है-

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण घटना से अवगत साक्षियों को डरायेगे, धमकायेगे नहीं तथा मामले के विचारण में सहयोग करेगे।

2. विचारण के दौरान आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगे तथा मामले के विचार में विलंब कारित नहीं करेगे।

3. विचारण के दौरान साक्षियों के उपस्थित होने पर आवेदकगण/अभियुक्तगण अनावश्यक स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मामले को विलंबित नहीं करेगे।

4. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अभियोजन पक्ष/सूचनादाता आवेदकगण/अभियुक्तगण की जमानत निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं।

दिनांक-10.03.2026

(सिद्धार्थ सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(ई०सी० एक्ट), गोरखपुर।
J.O. Code-UP6318

Digitally signed by SIDDHARTH SINGH
Date: 2026.03.11 10:08:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court